



JALAUN POLICE

दिनांक – 09.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त राजेश नाई पुत्र सुखराम नाई नि० ग्राम सुढार थाना व जनपद जालौन द्वारा मारुति वैन के बगल में मोटर साइकिल लगाकर वादी ब्रजकिशोर मिश्रा की पत्नी से मंगलसूत्र, मोबाइल व एक हजार रुपये झपट्टा मारकर ले जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 19.06.2010 को कोतवाली जालौन पर मु०अ०सं० 797/10(वाद संख्या 101/10) धारा 392 भादवि पंजीकृत हुआ था। कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा अभियुक्त को दिनांक 19.09.2010 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 06.10.2010 को आरोप पत्र मान० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 06.09.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल डकैटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा **अभियुक्त राजेश नाई को दोषी पाते हुए 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**